मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग
निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल,
58 अरेरा हिल्स, भोपाल– 462 011

अपील क्रमांक ए–159 / रासूआ / 20–3 / 2006 / जबलपुर

डा0.आर0बी0दुबे, अपीलकर्ता
567, कोतवाली रोड
जबलपुर

विरूद्ध

श्री विजय शर्मा, लोक सूचना अधिकारी
कुल सचिव,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय
जबलपुर

आदेश (14 अगस्त, 2006)

यह अपील डा0 आर0बी0दुबे (अपीलकर्ता) ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम) के अन्तर्गत प्रस्तुत की है । अपीलकर्ता ने एक आवेदन पत्र निम्नलिखित सूचना प्राप्त करने के लिये रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 23 जनवरी, 2006 को प्रस्तुत किया था :–

शिक्षक कल्याण कोष में वर्तमान में जमा राशि, तथा समय–समय पर इससे खर्च की गई राशि का सम्पूर्ण विवरण । रिकार्ड से उपरोक्त प्रमाणित जानकारी ।

2. निर्धारित तीस दिन की समयावधि में जानकारी प्राप्त न होने पर अपीलकर्ता ने एक अपील कुलपति,रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को दिनांक 23 / 1–2 / 2006 को प्रस्तुत की थी । अपीलकर्ता का यह कहना है कि इसके उपरांत भी उन्हें जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

3. इस प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी से इस विषय पर जानकारी प्राप्त की गई । लोक सूचना अधिकारी का कहना है कि उन्होने अपीलकर्ता के व्दारा जो जानकारी मांगी गई थी वह अपने पत्र दिनांक 31 मार्च, 2006 के व्दारा कुल जमा राशि की जानकारी दे दी है । इसके अतिरिक्त दिनांक 13 अप्रैल, 2006 के पत्र व्दारा अपीलकर्ता को यह जानकारी दी गई है कि जनशिक्षक कल्याण कोष से वर्ष 2005–2006 में तीन शिक्षकों को रूपये 15,000 / –की राशि का भुगतान

किया गया है । उन्होने इसका पत्रक भी संलग्न करके अपीलकर्ता को भेजा है । अपीलकर्ता ने इसके उपरांत एक आवेदन पत्र वित्त अधिकारी को दिनांक 3 अप्रैल, 2006 को दिया था जिसमें यह उल्लेखित किया गया था कि उन्हें अधूरी जानकारी प्रदान की गई है । इस पर लोक सूचना अधिकारी ने अपीलकर्ता को वर्ष 1983–84 से 2005–2006 तक जो राशि जमा की गई थी उसका पूरा स्टेटमेंट और उसमें से जो व्यय हुआ है उसकी पूरी जानकारी प्रदान कर दी गई है ।

4. इस प्रकरण में दिनांक 10 अगस्त, 2006 को सुनवाई की गई । अपीलकर्ता डा0आर0बी0दुबे, श्री विजय शर्मा, कुल सचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर उपस्थित हुये । दोनों पक्षों को इस प्रकरण में सुना गया । लोक सूचना अधिकारी का यह कहना है कि जनशिक्षक कल्याण कोष की पूरी जानकारी अपीलकर्ता को दे दी गई है । उनकी ओर से पूरी जानकारी का विवरण दिनांक 26 जुलाई, 2006 के पत्र के साथ संलग्न किया गया है । अपीलकर्ता का यह कहना है कि जन शिक्षक कल्याण कोष पिछले 40 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था लेकिन जानकारी वर्ष 1983–84 से दी गई है । उन्होने इस बात का कोई प्रमाण प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर यह माना जाये कि शिक्षण कल्याण कोष 40 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था, उन्होने कोई निर्धारित तिथि या अधिनियम की प्रति भी प्रस्तुत नही की है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाये कि शिक्षक कल्याण कोष 40 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था और अपीलकर्ता को जानबूझकर जानकारी नही दी जा रही है । लोक सूचना अधिकारी का कहना है कि जो जानकारी उपलब्ध थी, वह अपीलकर्ता को प्रदान की जा चुकी है । ऐसी स्थिति में इस अपील का कोई आधार नही है अतः अपील अमान्य की जाती है ।

(टी0एन0श्रीवास्तव)

मुख्य सूचना आयुक्त